408

संख्या– /XVI(1)/16/7(37)/16

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 देहरादून: दिनांक 25 अप्रैल, 2016

विषय:–वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अनुदान संख्या–29 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखानुदानों की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–490/XXVII (1)/2016 दिनांक–31 मार्च 2016 एवं आपके पत्र संख्या 09/एक–1(1)/2016–17 दिनांक 07 अप्रैल 2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनेत्तर पक्ष की निम्न सारणीनुसार विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु अवचनबद्व एवं वचनबद्व मदों में लेखानुदानों के माध्यम से प्राविधानित रू042,57,59,000.00(रू बयालिस करोड़ सत्तावन लाख उनसठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न **योजना मद एवं कम्प्यूटर आई0डी0 विवरणानुसार** आपके निर्वतन/आवंटन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

		(धनराशि हजार में)
	अनुदान संख्या–29 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 03 औद्यानिक विकास	
1	0301–अधिष्ठान	371305
2	0302–राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)	2599
3	0304–सचिवालय परिसर का सौन्दर्यीकरण	674
4	0305– मुख्यमंत्री आवास के उद्यानों का अनुरक्षण	394
5	0306–विधान भवन परिसर में औद्यानिक विकास	286
6	0328–उत्तराखण्ड मधुमक्खी परिषद की योजना	501
7	4401–फसल कृषि कर्म पर पूजीगत परिव्यय	50000
	कुल योग	**425759**

1. इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत मदों में उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–490/XXVII (1)/2016 दिनांक–31 मार्च 2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व न ही अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा। **मानक मद 01 वेतन–03 मंहगाई भत्ता–06–अन्य भत्ते से पुर्नविनियोग पूर्णतः वर्जित है।**
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित मदों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
5. कोर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी0एम0–8 पर प्राप्त करते हुए

कमशः–2

व्यय की नियमित समीक्षा की जाय। व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय। बजट प्रावधान, अवमुक्त धनराशि एवं व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा का मिलान महालेखाकार से करते हुए इसका प्रमाणित विवरण वित्त विभाग, बजट निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

6. **यदि किसी योजना में धनराशि पी0एल0ए0 खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को अहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाय, तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जाय।** उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. लघु निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व संकलित कार्यो की वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाय, तदोपरान्त स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाय।
8. मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी। उक्त मद में भुगतान सक्षम अनुमोदनपरांत नियुक्त आउटसोर्सिंग कार्मिकों के सम्बन्ध में ही नियमानुसार वहन किया जाय।
9. **योजना 4401–फसल कृषि कर्म पर पूजीगत परिव्यय 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 04–रोग रहित आलू बीज/कीटनाशक औषधियों की लागत 31–सामग्री और सम्पूर्ति के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू 5 करोड़ सम्बन्धित प्राधिकारियों को अवमुक्त किये जाने से पूर्व योजनान्तर्गत विगत वर्ष 2015–16 तक उक्त योजना में अवमुक्त धनराशि का जनपदवार आवंटन एवं उक्त आवंटन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2016 तक जनपदवार धनराशि का समायोजन विवरण, जिन जनपदों में शत प्रतिशत धनराशि का समायोजन नहीं किया जा सका है, उसका कारण एवं उत्तरदायी अधिकारी, योजना हेतु गत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, वर्तमान मांग के सापेक्ष औचित्य विवरण एवं गत वर्ष की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, योजना का मूल शासनादेश इत्यादि का विवरण एवं सम्बन्धित प्रपत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के उपरांत, व्यय के सम्बन्ध में शासन की सहमति प्राप्त हो जाने के उपरांत ही सम्बन्धित प्राधिकारियों को अवमुक्त की जायेगी। उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।**
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनेत्तर 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 0301–अधिष्ठान –0302–राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)–0304–सचिवालय परिसर का सौन्दर्यीकरण–0305–मुख्यमंत्री आवास के उद्यानों का अनुरक्षण तथा 0306–विधान भवन परिसर एवं 0328–उत्तराखण्ड मधुमक्खी परिषद की योजना के अन्तर्गत अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रण[illegible]र सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–913/XVI(1)/16/7(37)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
7– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।